खरीफ खरीद नीति 2019–20

संख्या / 19–XIX-2 / 21 खाद्य / 2019

प्रेषक,

सुशील कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– आयुक्त,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2– जिलाधिकारी,
ऊधमसिंह नगर / हरिद्वार / चम्पावत / देहरादून / पौड़ी / नैनीताल।

3– सम्भागीय खाद्य नियंत्रक,
गढवाल संभाग, देहरादून / कुमायूँ संभाग, हल्द्वानी।

4– महाप्रबन्धक,
भारतीय खाद्य निगम,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

5– निदेशक, मण्डी परिषद,
उत्तराखण्ड, रूद्रपुर।

6– प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड राज्य सहकारी विपणन संघ लि0, उत्तराखण्ड, देहरादून।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग–2 देहरादून, दिनाँक 20 सितम्बर, 2019

विषयः खरीफ खरीद सत्र 2019–20 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान की खरीद नीति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र संख्या– 3(13) / 2019–पी0वाई0–I, दिनाँक 25.07.2019 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गुण विनिर्दिष्टियों के आधार पर खाद्यायुक्त के पत्र सं0 1530 / आ0वि0शा0 / मॉ0ड्रा0 / 2019–20 दिनांक 06.09.2019 के द्वारा खरीफ विपणन सत्र 2019–20 में धान की खरीद नीति का प्रस्तावित ड्राफ्ट अनुमोदन हेतु प्राप्त हुआ है।

उक्त के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खरीफ–खरीद सत्र 2019–2020 में प्रदेश के किसानों से जिलाधिकारियों द्वारा तैयार किसान वार, ग्राम वार सूचियों के आधार पर दिनांक 01.10.2019 से निम्न प्रस्तरों में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार धान की खरीद की जायेगी। धान की खरीद हेतु आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करने हेतु समय सारिणी, शासनादेश संख्या 732 / 19–XIX-2 / 21 खाद्य / 2019, दिनाँक 05.09.2019 द्वारा जारी की जा चुकी है जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2 (1) धान का मूल्य :–

खरीफ–खरीद सत्र 2019–20 के लिए विभिन्न श्रेणी के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (क्रय मूल्य) भारत सरकार के पत्र संख्या–3(13) / 2019–पी0वाई0–I, दिनाँक 25.07.2019 के क्रम में निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियों के आधार पर निम्नवत् निर्धारित किया गया है :–

धान श्रेणी	मूल्य रूपये प्रति कुन्टल
कॉमन	1815.00
ग्रेड "ए"	1835.00

2 (2) उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, खाद्य एवम् सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली द्वारा खरीफ खरीद सत्र 2019–20 हेतु धान/चावल की गुण–विनिर्दिष्टियां प्राप्त नहीं हुई है।

3–धान का क्रय :–

3(1)– राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान के क्रय की व्यवस्थायें सुनिश्चित करती है। राज्य सरकार की नामित क्रय संस्थाओं के माध्यम से धान का क्रय भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियों के अनुरूप किया जायेगा। खरीफ–खरीद सत्र 2019–20 हेतु मूल्य समर्थन योजना के अर्न्तगत राज्य सरकार की क्रय संस्थाओं हेतु 2.00 लाख मी0टन धान क्रय का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।

3(2)– शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि खरीफ–खरीद सत्र 2019–20 के अन्तर्गत नामित क्रय संस्थाओं द्वारा स्थापित धान क्रय–केन्द्रों पर उत्तराखण्ड राज्य के कृषकों से धान का क्रय कृषक की जोत बही, खाता नम्बरयुक्त कम्प्यूटराईज्ड खतौनी, फोटो युक्त पहचान प्रमाण पत्र यथासम्भव आधार कार्ड के आधार पर किया जायेगा। राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा राज्य के कृषकों की उत्पादित धान की संगणना एवं विपणन योग्य सरप्लस (Marketable Surplus) धान की मात्रा का उल्लेख करने के साथ–साथ किसानवार, ग्रामवार सूची जिसमें किसान द्वारा बोये गये धान का क्षेत्रफल, उत्पादित सम्भावित धान की मात्रा, सम्भावित विपणन योग्य सरप्लस (Marketable Surplus) आदि का अंकन होगा, क्रय संस्थाओं को उपलब्ध करायी जायेगी तथा इन उपलब्ध करायी गयी सूचियों के आधार पर ही क्रय केन्द्र पर पंजीकृत किसानों से धान का क्रय सुनिश्चित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में **शासनादेश संख्या–733/19–XIX–2/21 खाद्य/2019 दिनाँक 05.09.2019** द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के निर्देश पूर्व में जारी किये गये हैं।

3(3)– धान क्रय के निमित्त राजस्व गांव के किसान अपने आस–पास के किसी भी नामित संस्था द्वारा संचालित क्रय केन्द्र पर अपना धान विक्रय कर सकेंगे। मण्डी यार्ड में स्थापित संस्थाओं के क्रय केन्द्र भी सम्बद्धीकरण से मुक्त रहेंगे। मण्डी यार्ड में स्थापित क्रय केन्द्र पर जनपद के किसी भी राजस्व ग्राम के कृषक का धान क्रय संस्थाओं द्वारा क्रय किया जा सकेगा।

3(4)– जैसे ही क्रय केन्द्र पर किसान अपने धान का नमूना लेकर आता है, क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा उसकी गुणवत्ता की जाँच सुनिश्चित की जायेगी। क्रय केन्द्र प्रभारी के पास राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी ग्रामवार सूचियों व पंजीकृत किसानों की सूची में किसान का नाम तथा उसके पास विक्रय हेतु उपलब्ध मात्रा का सत्यापन कर उसका नाम पंजिका में अंकित कर लिया जायेगा और किसान को क्रय केन्द्र पर धान विक्रय हेतु लाने के लिए एक तिथि दे दी जायेगी। निर्धारित तिथि को गुण–विर्निदिष्टियों के अनुरूप होने पर धान का क्रय कर लिया जायेगा। सूची में अंकित किसानों के विपणन योग्य सरप्लस (Marketable Surplus) से यदि वास्तविक मात्रा में कुछ विचलन दृष्टिगोचर होता है तो 10 प्रतिशत तक विचलन (धनात्मक/ऋणात्मक) स्वीकार कर लिया जायेगा। इस प्रक्रिया में यह ध्यान रखा जाये कि किसानों को अनावश्यक रूप से परेशानी न होने पावे।

3(5)– महिलाओं को प्रोत्साहन दिये जाने के उद्देश्य से जमीन के प्रपत्र यदि महिला के नाम से हैं व महिला कृषक के रूप में क्रय केन्द्र पर पंजीकृत है तथा स्वयं महिला अपना धान विक्रय हेतु क्रय केन्द्र पर विक्रय हेतु लाती है, तो उसे वरीयता प्रदान करते हुए बिना टोकन/तिथि उसका धान निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियों का होने पर क्रय कर लिया जायेगा।

3(6)– सामान्यतः एक दिन में एक काँटे पर 500 कुन्तल से अधिक धान की तौलाई सम्भव नहीं हो पाती है, इसलिए क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा प्रत्येक केन्द्र में विपणन योग्य सरप्लस (Marketable Surplus) के आधार पर काँटों की संख्या का निर्धारण किया जायेगा। काँटों की संख्या निर्धारित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि इनके संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु केन्द्र पर पर्याप्त स्टॉफ की तैनाती हो। खाद्य विभाग द्वारा नियमित केन्द्रो पर कार्यरत विपणन निरीक्षकों को क्रय केन्द्र प्रभारी नामित किया जायेगा। यदि किसी केन्द्र पर विपणन निरीक्षकों की कमी हो तो सम्भाग में कार्यरत कनिष्ठतम् वरिष्ठ विपणन अधिकारियों को भी क्रय केन्द्र प्रभारी नामित किया जा सकेगा।

3(7)– खरीफ–खरीद सत्र 2019–20 में नामित क्रय संस्थाओं द्वारा वर्तमान में विकसित किये गये ई–खरीद सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन धान खरीद की प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से अपनाया जायेगा। क्रय संस्थाओ द्वारा अपने संसाधनों से कम्प्यूटर/लैपटॉप/आईपैड, इन्टरनेट कनैक्शन, मानवसंशाधन व अन्य आवश्यक आधारभूत व्यवस्थायें स्वयं सम्पन्न की जायेंगी। चूंकि भारत सरकार द्वारा प्रतिदिन राष्ट्रीय खरीद पोर्टल (NPP) पर राज्य द्वारा की गयी नियमित धान खरीद की सूचना उपलब्ध कराने के स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं अतः अनिवार्यतः प्रत्येक क्रय केन्द्र पर ऑनलाईन खरीद सम्पादित की जायेगी।

3(8)– प्रत्येक कृषक का क्रय ऐजेन्सी द्वारा पंजीकरण किया जाना अनिवार्य होगा। जिन कृषकों का पंजीकरण न हो पाया हो, ऐसे कृषकों का पंजीकरण उनके द्वारा क्रय केन्द्र पर अपने उत्पाद को विक्रय हेतु लाये जाने पर सर्वप्रथम क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा उनके पंजीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी। खरीफ–खरीद सत्र 2019–20 में पंजीकरण कराये बिना क्रय केन्द्र पर कृषक का उत्पाद क्रय नहीं किया जायेगा अपितु कृषक का मौके पर ही राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी ग्रामवार/किसानवार सूची के आधार पर पंजीकरण कर लिया जायेगा। किसान से उसकी भूमि सम्बन्धी आंकडे, सामाजिक श्रेणी तथा बैंक सम्बन्धी जानकारी भी मौके पर ही प्राप्त की जायेगी।

3(9)– नामित क्रय संस्थाओ द्वारा क्रय केन्द्रों पर कृषको से की गयी धान खरीद का प्रत्येक विवरण ई–खरीद मॉडयूल पर करना अनिवार्य होगा। मात्र उसी धान खरीद की मात्रा को मान्यता प्रदान की जायेगी जो कि ई–खरीद सॉफ्टवेयर पर प्रदर्शित होगी।

4– धान क्रय एजेंसियों एवं क्रय–केन्द्रों का निर्धारण :–

4(1)– खरीफ–खरीद सत्र 2019–20 में क्रय–केन्द्रों पर कृषकों का धान क्रय करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित क्रय संस्थाओं/उनके द्वारा संचालित क्रय केन्द्रों को अधिकृत किया जाता है। क्रय संस्थाओं द्वारा स्थापित किये जाने वाले क्रय–केन्द्रों की संख्या तथा संस्थावार धान क्रय का सम्भागवार लक्ष्य निम्नवत निर्धारित किया जाता है :–

क्र0 सं0	क्रय संस्था	केन्द्रो की संख्या		योग	क्रय की जाने वाली धान की मात्रा (मी0टन)		योग
		गढवाल	कुमायूँ		गढवाल	कुमायूँ	
1–	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (विपणन शाखा)	12	18	30	10,000	40,000	**50,000**
2–	सहकारिता विभाग (यू0 सी0 एफ0)	10	130	140	10,000	1,00,000	**1,10,000**
3–	नैफेड	5	15	20	5,000	15,000	**20,000**

4–	एन0सी0सी0एफ0	5	15	20	5,000	15,000	20,000
	कुल योग	32	178	210	30,000	1,70,000	2,00,000

सम्बन्धित क्रय संस्थाएं जिलाधिकारी के अनुमोदन उपरान्त क्रय केन्द्रों की स्थापना/संचालन करेंगी। मण्डियों में धान की आवक के आधार पर सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी के अनुमोदन उपरान्त क्रय संस्थाएं अपने केन्द्र बढ़ा/घटा सकती हैं।

4(2)– कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड (मण्डी परिषद) उत्तराखण्ड, जिसका मुख्य दायित्व कृषकों को उनकी उपज का उचित एवम् लाभकारी मूल्य दिलाना है द्वारा नोडल ऐजेन्सी के रूप में क्रय संस्थाओं को अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा। मण्डी परिषद क्रय संस्थाओं द्वारा संचालित क्रय–केन्द्रों पर धान विक्रय के निमित्त व्यापक प्रचार–प्रसार की व्यवस्था करेगा। विगत वर्षों की धान खरीद को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष धान क्रय केन्द्रों की संख्या उपरोक्तानुसार **210** रहेगी, तथा मण्डी परिषद द्वारा क्रय–केन्द्रों की संख्या के आधार पर आवश्यक व्यवस्थायें भी सुनिश्चित की जायेगी। यदि भविष्य में धान क्रय के दृष्टिगत अन्य क्रय ऐजेन्सियां नामित किये जाने का निर्णय लिया जाता है तो उनसे भी धान क्रय का कार्य सम्पादित कराया जायेगा एवं इनके द्वारा भी पृथक से क्रय केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।

4(3)– क्रय संस्थाओं द्वारा यथासम्भव क्रय–केन्द्रों का निर्धारण एवं स्थापना इसप्रकार की जायेगी कि कृषक को अपना धान विक्रय करने हेतु 08 (आठ) किमी0 से अधिक दूरी तय न करनी पडे तथा किसान कम से कम दूरी तय करके सुगमता से अपना धान विक्रय हेतु क्रय केन्द्रों पर ला सकें। उन क्षेत्रोंमें क्रय केन्द्र मुख्यतः स्थापित किये जाये जहां पर धान की अच्छी आवक होती है तथा धान खरीद की सम्भावना हो।

4(4)– क्रय–केन्द्रों के चयन में सार्वजनिक स्थानों जैसे सामुदायिक विकास केन्द्र, मण्डी यार्ड, उप मण्डी यार्ड, पंचायत घर, सहकारी समितियों के कार्यालय/गोदाम एवं सरकारी भवनों जो कि मुख्य सडक मार्ग पर स्थापित हों उस स्थानों पर धान क्रय केन्द्र स्थापित करने को वरीयता दी जायेगी। ऐसे स्थानों की अनुपलब्धता अथवा उचित स्थान न मिलने पर ही प्राइवेट स्थानों का चयन किया जायेगा। विगत वर्ष खोले गये क्रय–केन्द्रों पर यदि धान क्रय का कार्य निर्विवाद एवं सफलतापूर्वक संचालित हुआ है तो बिना किसी ठोस आधार के क्रय–केन्द्रों का स्थान परिवर्तन नहीं किया जायेगा। किसी भी दशा में व्यापारिक प्रतिष्ठानों में क्रय केन्द्र नहीं खोले जायेगें।

4(5)– नामित क्रय संस्थाओं द्वारा धान क्रय केन्द्रों का संचालन दिनाँक **01–10–2019** से दिनाँक **29–02–2020** तक किया जायेगा। मुख्य राष्ट्रीय पर्वों एवं त्योहारों हेतु घोषित अवकाशों को छोड़कर शेष कार्य दिवसों में धान क्रय केन्द्र खुले रहेंगे। जिलाधिकारी अपरिहार्य स्थितियों में राजपत्रित अवकाश के दिनों में भी धान क्रय के लक्ष्य की पूर्ति हेतु धान क्रय केन्द्र खुलवाने हेतु निर्णय ले सकते हैं।

4(6)– सभी क्रय संस्थाओं द्वारा कृषकों को धान के मूल्य का भुगतान अधिकतम 48 घण्टे के अन्दर उस किसान के नाम आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जायेगा। चैक के माध्यम से भुगतान की मान्यता प्रदान नहीं की जायेगी।

4(7)– यदि कृषक का धान निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं है एवं धान को छनाई एवं सफाई की आवश्यकता समझी जाती है तो धान की वाहन से उतराई, छनाई एवं सफाई का व्यय भार कृषक द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। यदि कृषक द्वारा क्रय केन्द्रो पर धान की उतराई, छनाई एवं सफाई का कार्य केन्द्र पर उपलब्ध श्रमिकों से कराया जाता है तो कृषक द्वारा श्रमिकों को इस कार्य में मण्डी परिषद द्वारा निर्धारित प्रति कुन्टल की दरों के आधार पर भुगतान किया जायेगा। यदि कृषक अपना धान केन्द्र पर निर्धारित मानक का लाता है जिसमें छनाई एवं सफाई की आवश्यकता नहीं है अथवा धान की उतराई, छनाई एवं सफाई क्रय केन्द पर कृषक द्वारा स्वयं की जाती है तो उसका धान निर्धारित गुण–निर्दिष्टियों का होने पर नियमानुसार क्रय कर लिया जायेगा।

4(8)– मण्डियों में धान की प्रतिस्पर्धा पूर्ण नीलामी सुनिश्चित की जायेगी। बोली के समय किसान के अतिरिक्त मण्डी सचिव, क्रय संस्थाओं के केन्द्र प्रभारी तथा व्यापारी प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। नीलामी प्रक्रिया की यथासम्भव विडियो रिकोर्डिंग भी की जायेगी यदि नीलामी में फेयर ऐवरेज क्वालिटी (F.A.Q) धान की बोली समर्थन मूल्य से नीचे आती है तो उसे क्रय संस्था द्वारा खरीद लिया जायेगा।

4(9)– सर्वप्रथम किसानों द्वारा विक्रय हेतु क्रय–केन्द्र पर लाये गये धान के नमी की जाँच सम्बन्धित क्रय संस्था के केन्द्र प्रभारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। यदि लाये गये धान में नमी का प्रतिशत एवं विजातीय तत्व अनुमन्य सीमा से अधिक पाये जाते हैं तो केन्द्र पर ही उसे सुखाने तथा पंखा एवं छन्ने से उसकी सफाई कराने की व्यवस्था की जायेगी। यह व्यवस्था उत्तराखण्ड राज्य कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड/मण्डी समिति द्वारा की जायेगी। यदि सुखाने एवं सफाई कराने उपरान्त धान भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियों के अनुरूप पाया जाता है तो उसकी तौल कराकर कृषक को धान के मूल्य का भुगतान आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से कर दिया जायेगा।

4(10)– बिचौलियों के शोषण से कृषकों को बचाने के लिए उत्तराखण्ड के पंजीकृत कृषकों जिनकी ग्रामवार सूची जिला प्रशासन द्वारा क्रय केन्द्रों पर उपलब्ध करायी जायेगी, के आधार पर धान की खरीद की जायेगी। धान खरीद हेतु प्रथम आवक प्रथम खरीद के सिद्वान्त को लागू रखने के लिए क्रय केन्द्र प्रभारियों द्वारा टोकन पद्वति अपनायी जायेगी। इस निमित्त क्रय केन्द्र पर एक टोकन पंजिका भी अनुरक्षित की जायेगी जिसमें केन्द्र पर धान लाने वाले कृषक का क्रमांक, उसका नाम तथा तिथि अंकित की जायेगी। पंजिका में अंकित क्रमांक के अनुसार ही कृषक को टोकन निर्गत किया जायेगा एवं इसी क्रम में धान की तौलाई सुनिश्चित की जायेगी।

4(11)– कृषकों को अपनी उपज का धान सरकारी क्रय–केन्द्रो पर विक्रय हेतु लाने के लिये प्रेरित किया जायेगा तथा अन्यत्र विक्रय को हतोत्साहित किया जायेगा, ताकि कृषकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ अनुमन्य हो सके।

4(12)– कृषकों की सुविधा की दृष्टि से धान क्रय केन्द्र पर निम्नलिखित सूचनाएं बैनर लगाकर प्रदर्शित की जायेंगी :–

(1) धान का समर्थन मूल्य।
(2) क्रय संस्था एवं क्रय केन्द्र का नाम।
(3) क्रय केन्द्र प्रभारी का नाम व मोबाइल नम्बर।
(4) क्रय संस्थाओं के जनपद स्तरीय अधिकारी का नाम व मोबाइल नम्बर।

(5) उप सम्भागीय विपणन अधिकारी का नाम व मोबाइल नम्बर।
(6) उप जिलाधिकारी का नाम व मोबाइल नम्बर।
(7) गुणवत्ता के मानक।
(8) सम्बन्धित बैंक का नाम जहां से भुगतान होना है।
(9) क्रय केन्द्र खुलने का समय प्रातः 9.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक।

4(13)– सम्भागीय खाद्य नियन्त्रकों द्वारा प्रस्तर–4(1) में अंकित लक्ष्य के अनुसार अपने–अपने सम्भागों में संस्थावार/केन्द्रवार धान क्रय कराया जायेगा तथा क्रय धान की कुटाई प्रचलित ई–खरीद सॉफ्टवेयर पर पंजीकृत मिलों से उनकी कुटाई क्षमता एवं साख के आधार पर सुनिश्चित करायी जायेगी ।

5– नोडल अधिकारी व जिला खरीद अधिकारी की नियुक्ति :–

जनपद में धान क्रय हेतु जिलाधिकारी नोडल अधिकारी होगे उनके निर्देशन व पर्यवेक्षण में धान क्रय कराया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा जनपद के किसी वरिष्ठ अधिकारी को जो कम से कम अपर जिलाधिकारी स्तर के हों, जिला खरीद अधिकारी नामित किया जायेगा। इसी प्रकार प्रत्येक उप जिलाधिकारी को भी धान क्रय के दृष्टिगत तहसील/परगना हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा जिसके साथ इस कार्य में वरिष्ठ विपणन अधिकारी द्वारा समन्वय रखा जायेगा। मण्डल स्तर पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रक नोडल अधिकारी होंगे। मण्डलायुक्त, सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, जिलाधिकारी, जिला खरीद अधिकारी सभी नोडल अधिकारी एव क्रय संस्थाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि धान खरीद का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे तथा किसी भी कारण से धान खरीद प्रभावित न होने पाये।

6– मण्डी परिषद द्वारा क्रय केन्द्रों पर उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधायें :–

6(1) कृषकों के पजीयन, धान क्रय नीति, धान का मूल्य, धान की गुण–विनिर्दिष्टियां, आदि का प्रचार प्रसार प्रिंट व इलैक्ट्रोनिक मीडिया, रेडियो, एफ0एम0 रेडियो आदि के माध्यम से कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड द्वारा कराया जायेगा।

6(2) प्रत्येक धान क्रय–केन्द्र पर मण्डी परिषद द्वारा किसानों की सुख सुविधा के लिये निम्नलिखित व्यवस्थाऐ की जायेगी :–

1. कृषकों के लिये पीने के पानी की व्यवस्था हेतु बाल्टी, लोटा, गिलास आदि।
2. वाहनों हेतु पाक्रिग व्यवस्था।
3. कृषकों के बैठने के लिये शामियाना, तख्त, दरी, कुर्सी आदि।
4. पर्याप्त मात्रा में पंखों/छन्नों, विनोईंग फेन, ड्रायर, इलैक्ट्रोनिक कांटा आदि की व्यवस्था।
5. धान की नमी की जॉच हेतु इलैक्ट्रानिक नमी मापक यंत्र।
6. वाटर मैन की व्यवस्था।
7. रोशनी की उचित व्यवस्था।
8. धान की सुरक्षा हेतु तिरपाल की व्यवस्था।

6(3) मण्डी यार्ड में क्रय संस्थाओं द्वारा संचालित क्रय केन्द्रो पर उक्त व्यवस्थायें मण्डी परिषद द्वारा अनिवार्यतः की जायेंगी। यदि मण्डी यार्ड में स्थापित किसी क्रय–केन्द्र पर मण्डी परिषद द्वारा उक्त सुख–सुविधांये उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो क्रय संस्थायें आवश्यकतानुसार मितव्ययता के दृष्टिगत यह व्यवस्थाये स्वयं सुनिश्चित

करेंगी तथा इस मद में व्यय हुयी धनराशि की प्रतिपूर्ति देय मण्डी शुल्क के विपत्रों से कर ली जायेगी।

7– **क्रय–केन्द्रों के लिये भूमि का किराया** :–

क्रय केन्द्रों के लिये भूमि का किराया क्रय संस्था को भारत सरकार द्वारा इस मद में स्वीकृत प्रासंगिक व्ययों से ही वहन करना होगा। इसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा अलग से नहीं की जायेगी। एकरूपता तथा मितव्ययता की दृष्टि से जिलाधिकारी भूमि के किराये की अधिकतम दर प्रतिवर्ग फिट के आधार पर निर्धारित करेगें, जो समस्त क्रय संस्थाओं के लिए अनुमन्य होंगी।

8– **क्रय केन्द्रों पर कॉटों तथा बॉटों का सत्यापन** :–

8(1) समस्त क्रय केन्द्रों व भण्डारण डिपो पर सुनिश्चित किया जायेगा कि सही बांट तथा माप का प्रयोग हो, सही तौलाई की जाये तथा सभी उपकरण बांट माप विभाग से सत्यापित हों। मण्डी समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये इलैक्ट्रोनिक कांटों का मुद्रांकन अभियान चलाकर सुनिश्चित किया जायेगा।

8(2) क्रय केन्द्रो व भण्डारण डिपो पर सही तौल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनपद में जिला खरीद अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की जायगी जिसके सदस्य विधिक माप विज्ञान विभाग के अधिकारी, उप सम्भागीय विपणन अधिकारी व सहायक निबन्धक होंगे।

8(3) क्रय सत्र के दौरान खराब इलैक्ट्रोनिक काटों को तत्काल ठीक करने के उददेश्य से मण्डी परिषद 01 मैकेनिक नामित करेगी व उसका मोबाइल नम्बर सभी क्रय केन्द्रों को परिचालित करेंगी।

9– **क्रय एजेंसियों हेतु बोरे की व्यवस्था** :–

9(1) खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग/सहकारिता विभाग एवं नामित क्रय ऐजेन्सियों के लिये नये जूट बोरों की व्यवस्था खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। धान क्रय के लिये क्रय संस्थाओं द्वारा बोरों की अपनी तात्कालिक आवश्यकता सम्बन्धित उप सम्भागीय विपणन अधिकारी को प्रेषित की जायेगी, जिसे उपसम्भागीय विपणन अधिकारी द्वारा वास्तविक आवश्यकता का आकलन कर सम्भागीय खाद्य नियंत्रक को प्रेषित किया जायेगा। क्रय संस्थाओं को बोरों की पूर्ति के लिये सम्भागीय खाद्य नियंत्रक उत्तरदायी होंगे। खरीफ खरीद सत्र 2019–20 में क्रय संस्थाओं को भारत सरकार के निर्देशानुसार नया जूट बोरा केवल कस्टम मिल्ड चावल भरने हेतु दिया जायेगा इस हेतु क्रय किये जाने वाले धान की प्रति कुन्टल मात्रा का कम से कम 50 प्रतिशत धान ऐसे नये जूट बोरों में भरा जायेगा जिसमें बाद में चावल भरकर स्टेटपूल/भारतीय खाद्य निगम को सम्प्रदान किया जा सके।

दोनों सम्भागों में वर्तमान में रबी खरीद सत्र 2019–20 के नये जूट बोरे अवशेष सूचित किये गये हैं जिन्हें खरीफ खरीद सत्र 2019–20 में प्रयुक्त करने हेतु भारत सरकार से अनुमति प्राप्त की जा रही है। अतः सम्भागीय खाद्य नियंत्रक खाद्य विभाग द्वारा संचालित क्रय केन्द्रो पर सर्वप्रथम रबी–विपणन सत्र 2019–20 के अवशेष बोरों का उपयोग करना सुनिश्चित करेंगे। चूंकि उक्त अवशेष बोरों का सत्यापन

भारतीय खाद्य निगम द्वारा कियाजायेगा अतएव उक्त बोरे जिन केन्द्रों पर संग्रहित हैं अथवा जिन क्रय केन्द्रों हेतु दिये जायेंगे उसका लेखा जोखा पृथक से रखा जायेगा ताकि सत्यापन करने पर किसी प्रकार की असुविधा न होने पावे।

9(2) अवशेष 50 प्रतिशत क्रय किये जाने वाले धान को पुराने जूट बोरों में भरा जायेगा। यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये कि इन बोरों में धान की मात्रा व गुणवत्ता प्रभावित न हो। किसी प्रकार की हानि के लिए क्रय संस्थाऐ पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी। धान क्रय हेतु ऐसे पुराने जूट बोरों की व्यवस्था का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित क्रय संस्थाओं का होगा। इस निमित्त क्रय संस्थाओं को भारत सरकार की खरीफ खरीद सत्र 2019–20 हेतु जारी कॉस्ट शीट के अनुरूप स्वीकृत यूजेज चार्जेज, अपेक्षित अभिलेख व बोरों का लेखा जोखा आदि उपलब्ध कराने पर ही अनुमन्य होंगे।

क्रय संस्थाऐं यदि पुराने जूट बोरों की उपलब्धता बना पाने में असमर्थ रहती हैं तो वे इस सम्बन्ध में सम्भागीय खाद्य नियंत्रक को अवगत करायेंगी तथा सम्भीय खाद्य नियंत्रक द्वारा क्रय संस्थाओं की आवश्यकतानुसार पुराने जूट बोरों की उपलब्धता बनाने हेतु कार्यवा की जायेगी।

9(3) बोरों में धान की भर्ती शुद्ध वजन 40.00 कि0ग्रा0 व चावल की भर्ती शुद्ध वजन 50.00 कि0ग्रा0 के आधार पर की जायेगी। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, गढवाल/कुमायूँ सम्भाग विभाग के पास संग्रहित नये बोरे धान खरीद हेतु धान क्रय केन्द्रों को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

यदि स्टेट पूल डिपो अथवा भारतीय खाद्य निगम डिपो पर कस्टम मिल्ड चावल के सम्प्रदान करने पर बोरे अधोमानक पाये जाते हैं तो इसके लिये सम्बन्धित चावल मिलर पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें। प्राप्तकर्ता डिपो प्रभारी किसी भी दशा में अधोमानक बोरों में कस्टम मिल्ड चावल प्राप्त नहीं करेंगे।

10– <u>मानक नमूने का प्रदर्शन</u> :–

10(1)– प्रत्येक क्रय केन्द्र पर धान का एक मानक नमूना प्रदर्शित किया जायेगा।

10(2)– कृषक का धान गीला अथवा साफ–सुथरा न होने पर क्रय केन्द्र पर अस्वीकृत न किया जाये अपितु उसे क्रय केन्द्र पर सुखाने व साफ करने का पर्याप्त मौका दिया जाये व मानक के अनुरूप आने पर ही क्रय किया जाये।

10(3)– यदि उक्त धान की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं आ पाती है एवं कृषक संतुष्ट नहीं है तो वह सम्बन्धित केन्द्र के वरिष्ठ विपणन अधिकारी के यहां उक्त की अपील कर सकता है। वरिष्ठ विपणन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति विलम्बतम 48 घंटे में कृषक के सम्मुख विश्लेषण कर निर्णय लेगी इस समिति में निम्न सदस्य होगें–

1. वरिष्ठ विपणन अधिकारी – अध्यक्ष।
2. मण्डी समिति के सचिव/निरीक्षक – सदस्य।
3. क्रय संस्था के केन्द्र प्रभारी – सदस्य।
4. 02 स्वतंत्र कृषक – सदस्य।

10(4)– किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में कृषकों द्वारा लाये गये धान को अस्वीकृत किये जाने पर रिजेक्शन पंजिका में धान विक्रेता कृषक का नाम व उसका पूरा पता, मोबाइल नं0, धान की मात्रा तथा अस्वीकृत करने का पर्याप्त एवं स्पष्ट कारण अंकित किया जायेगा।

10(5)– मांग किये जाने पर रिजेक्शन पंजिका सम्बन्धित किसानों, मा0 जन प्रतिनिधियों एवं निरीक्षणकर्ता अधिकारियों को भी दिखाया जायेगा।

11– **<u>धान के मूल्य का भुगतानः–</u>**

11(1)– खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा स्थापित क्रय–केन्द्रो के संचालन एवं कृषकों को धान के मूल्य का समायान्तर्गत भुगतान करने हेतु वित्त नियंत्रक, खाद्य द्वारा आवश्यकतानुसार क्रय केन्द्रों हेतु धनराशि की व्यवस्था हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु धान खरीद की सम्भागवार समीक्षा कर दोनों सम्भागों से धनराशि की आवश्यकता का मांगपत्र प्राप्त कर शीघ्र–अतिशीघ्र बजट आवंटन किया जायेगा।

11(2)– कृषकों को मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत क्रय किये गये धान के मूल्य का भुगतान अधिकतम 48 घंटे के अन्दर तत्परता से आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा क्रय–केन्द्रों को किसी एक शैडयूल्ड/राष्ट्रीयकृत बैक से संबद्ध करके क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा "राज्य पैडी परचेज एकांउट" के नाम से खाता खोला जायेगा। खाद्य विभाग के क्रय–केन्द्र प्रभारियों द्वारा एक समय में किसी एक कृषक को अधिकतम ₹5,00,000.00 (रूपये पांच लाख मात्र) तक धान के मूल्य का भुगतान तथा ₹5,00,000 लाख से अधिक धान के मूल्य का भुगतान वरिष्ठ संभागीय वित्त अधिकारी/सहायक संभागीय वित्त अधिकारी द्वारा आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से प्रचलित प्रणाली के अर्न्तगत किया जायेगा। इस हेतु वरिष्ठ विपणन अधिकारी द्वारा वांछित प्रपत्र अपनी संस्तुति सहित सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी कार्यालय में प्रेषित किये जायेंगे।

11(3)– अन्य क्रय संस्थाओं यथा सहकारिता, नैफेड एवं एन0सी0सी0एफ0 द्वारा भी कृषकों को मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत क्रय किये गये धान के मूल्य का भुगतान अधिकतम 48 घंटे के अन्दर तत्परता से आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जायेगा।

12– **<u>धान खरीद केन्द्र पर रखे जाने वाले अभिलेख</u> :–**

12(1)– धान क्रय केन्द्र पर क्रय संस्थाओं द्वारा निम्नलिखित अभिलेख अनिवार्य रूप से संरक्षित रखे जायेंगे :–

(01) किसान पंजीकरण पंजिका।
(02) किसान परिचय पर्ची/टोकन।
(03) धान की क्वालिटी का विश्लेषण रजिस्टर।
(04) क्रय तक–पट्टी ।
(05) क्रय पंजिका ।
(06) बोरा रजिस्टर ।
(07) स्टाक रजिस्टर ।
(08) बिल बुक ।
(09) निर्गत चेकों का विवरण पत्र ।
(10) टी0डी0स्लिप ।
(11) बैंक लेखा पंजी ।
(12) निरीक्षण पंजिका ।
(13) शिकायत पंजिका ।
(14) क्रय किये धान का निस्तारण
(15) हैण्डलिगं ठेकेदारों की नियुक्ति का विवरण।
(16) परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति का विवरण
(17) रिजैक्सन पंजिका ।
(18) मिलवार धान प्रेषण एवम् चावल प्राप्ति पंजिका ।
(19) राजस्व विभाग द्वारा तैयार किसानों की सूची ।

13– <u>धान की बोरों में भराई सिलाई एवं स्टेन्सिलिंग</u> :–

13(1)– क्रय केन्द्रो पर क्रय किये गये धान को प्रति बोरा 40 कि0ग्रा0 की दर से नये जूट बोरों की स्थिति में उल्टे बोरों में भरकर तथा अन्य पुराने जूट बोरों में 12 टाँको से मजबूत सुतली से सिलाई कर प्रत्येक बोरे पर खरीद वर्ष, भराई की तिथि, क्रय संस्था का नाम, धान का ग्रेड़ तथा भरते समय का वजन, हैण्डलिंग ठेकेदारों द्वारा चटक रंग से स्टेसिलिंग कराया जायेगा, जिससे पढ़ने में सुविधा हो।

13(2)– उपरोक्तानुसार सिलाई एवं स्टेन्सिलिंग न करने पर क्रय संस्था द्वारा क्रय केन्द्र हेतु नियुक्त किये गये हैण्डलिगं ठेकेदार के बिलों से यथास्थिति निम्न प्रकार कटौतियॉ सुनिश्चित की जायेगी :–

(अ)– खराब सिलाई 12 टाँको से कम तथा खराब सुतली लगने पर **75 पैसे** प्रति एस0बी0टी0।

(ब)– स्टेंन्सिल न करने या खराब करने पर रू0 **1.00 प्रति** एस0बी0टी0।

14–<u>स्टेंसिलिंग/ब्रान्डिंग एवं कलर कोडिंग हेतु रंगों का प्रयोग निम्न प्रकार किया जायेगा</u> :–

भारत सरकार के पत्र संख्या–15(1)/2012–पी0वाई0.III(ई0 फाईल–318639) दिनाँक 08.05.2019 द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2019–20 में चावल क्रय में प्रयुक्त होने वाले नये एस0बी0टी0 (50 कि0ग्रा0) बोरों पर निम्नानुसार कलर कोडिंग/स्टैन्सलिंग की जायेगीः–

(a) Stancil or Branding as per Iindenters' requirements shall be in " **BLUE**" colour.

(b) Marking or Stitching on the mouth of the bag after filling the grain will be done by the FCI/State Agencies in "**BLUE**" colour.

(c) For indentification marketing or marketing season, there will be color coded strip/s. on every jute bag. Width of the each strip will be of 4 threads. Each strip will be running along the length of the Bag and shall be in "BLUE" color.

For Bags to be supplied through Jute Commissioner of India.

(d) (i)- Single Strip is to be printed for bags to be supplied through Jute Commissioner of India. This Singhle strip shall be printed at a distance of about 150 mm away from any selvedge of the bag.

For bags not purchased through Jute Commissioner of India.

(e)- For Jute bags not purchased through Jute Commissioner of India, two strips shall be printed on each. Each of two strips shall be printed at a distance of about 150mm away from the respective selvedges of each bag.

15– <u>प्रचार प्रसार</u> :–

मूल्य समर्थन योजना के अर्न्तगत धान क्रय की व्यवस्था तथा क्रय–केन्द्रों की स्थापना के सम्बन्ध में कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड द्वारा आकाशवाणी, दूरदर्शन, समाचार पत्रों तथा प्रचार–प्रसार माध्यमों से व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जायेगा, ताकि कृषकों को सरकार द्वारा दी जा रही व्यवस्था की सही एवं पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके तथा उनका कोई उत्पीड़न न कर सके।

16– **धान की आमद व बाजार भाव की समीक्षा** :–

16(1)– जिला स्तर पर जिलाधिकारी, उपसम्भागीय विपणन अधिकारी तथा सम्भाग स्तर पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा मण्डियों एवं क्रय–केन्द्रो पर धान के बाजार भाव एवम् धान के आवक की नियमित समीक्षा की जायेगी। जिला स्तर पर जिला खरीद अधिकारी के पर्यवेक्षण में एक प्रकोष्ठ की स्थापना की जायेगी, जिसमें सरकारी क्रय एजेन्सियों द्वारा क्रय किये गये धान की स्थिति की समीक्षा की जायेगी। साथ ही धान क्रय के सबंध में की गई शिकायतों पर तत्परतापूर्वक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। प्रकोष्ठ कार्यालय दिवसों में प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक क्रियाशील रखे जायेगें।

मण्डी निदेशक के स्तर से प्रतिदिन स्थानीय मण्डियों में होने वाली धान की आवक एवं दैनिक बाजार भाव की सूचना सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय एवं सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय में स्थापित खाद्य नियंत्रण कक्ष को अनिवार्यतः उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

16(2)– सम्भागीय स्तर पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रक तथा जनपद स्तर पर उप सम्भागीय विपणन अधिकारी क्रय संस्थाओं द्वारा धान क्रय की नियमित समीक्षा की जायेगी तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि क्रय केन्द्रों पर डिस्ट्रेस सेल की स्थिति उत्पन्न न हो। जहाँ भी धान के बाजार भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम होने की सूचना प्राप्त हो अथवा कृषकों द्वारा डिस्ट्रेस सेल की संभावना प्रतीत हो वहाँ तत्परतापूर्वक सरकारी क्रय संस्थाओं द्वारा मानकों के अनुरूप पाये गये धान का क्रय नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार क्रय–केन्द्र तत्काल खुलवाकर खरीद की समुचित व्यवस्था की जायेगी।

16(3)– खाद्यायुक्त कार्यालय में भी क्रय संस्थाओं द्वारा की गयी धान खरीद एवं उद्ग्रहित कस्टम मिल्ड चावल का नियमित अनुश्रवण मुख्य विपणन अधिकारी, खाद्यायुक्त कार्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। क्रय संस्थाओं द्वारा प्रतिदिन क्रीत धान खरीद/कस्टम मिल्ड चावल की संकलित सूचना खाद्यायुक्त को ई–मेल–foodcommfcs@gmail.com पर तथा खाद्यायुक्त द्वारा साप्ताहिक आख्या प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड शासन/भारतीय खाद्य निगम को प्रेषित की जायेगी ।

17– **खरीदे गये धान का निस्तारण** :–

राज्य सरकार द्वारा नामित क्रय संस्थाओं द्वारा मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत क्रय किये गये धान का निस्तारण विगत वर्षो की भाँति दो विकल्पों के आधार पर किया जा सकेगा :–

17(1)– क्रय किये गये धान को धान के रूप में ही राज्य की किसी चावल मिल को विक्रय किया जायेगा।

अथवा

17(2)– क्रय संस्थायें क्रय किये गये धान को चावल मिलों से कुटाई कराकर चावल तैयार करायेगें। धान से निर्मित चावल का सम्प्रदान स्टेट पूल/केन्द्रीय पूल योजना में खाद्य विभाग व भारतीय खाद्य निगम को किया जायेगा, किन्तु स्टेटपूल/भारतीय खाद्य निगम डिपो पर खरीफ–खरीद सत्र 2019–20 हेतु निर्धारित गुण–निर्दिष्टियों के

अनुरूप न पाये जाने की दशा में यदि प्राप्तकर्ता स्टेटपूल डिपो प्रभारी/भारतीय खाद्य निगम डिपो द्वारा चावल को अस्वीकार कर दिया जाता है तो सम्बन्धित क्रय संस्था निर्मित चावल का वाणिज्यक विक्रय कर निस्तारित करेगी।

17(3)– क्रय संस्थाओं द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2019–20 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत दिनॉक 01–10–2019 से क्रय–केन्द्रों पर क्रय किये गये धान को चावल मिलों से कुटाई कराकर निर्मित कस्टम मिल्ड चावल का सम्प्रदान दिनाँक 30–07–2020 तक विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली के अन्तर्गत निर्दिष्ट स्टेट पूल डिपो में किया जायेगा। स्टेटपूल योजना हेतु निर्धारित लक्ष्य से अधिक कस्टम मिल्ड चावल का सम्प्रदान केन्द्रीय पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम को किया जायेगा।

17(4)– खरीफ खरीद सत्र 2019–20 में क्रय संस्थाओं द्वारा अपने क्रय केन्द्रों पर क्रीत धान की कुटाई सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय में पंजीकृत चावल मिलों से कराई जायेगी। जिस क्रय संस्था द्वारा धान का क्रय किया जायेगा उसी क्रय संस्था द्वारा सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालयों में पंजीकृत मिलों में से मिल चयनित कर धान की कुटाई कराकर सी0एम0आर0 का उदग्रहण कराया जायेगा।

18– <u>धान की कस्टम मिलिंग हेतु विपणन निरीक्षक/वरिष्ठ विपणन अधिकारी के दायित्वः–</u>

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, सहकारिता विभाग तथा अन्य क्रय संस्थाओं द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2019–20 में मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत क्रय किये गये धान की नियमित जाँच तथा चावल मिलों को कुटाई हेतु दिये गये राजकीय धान की मात्रा का सत्यापन एवम् इससे निर्मित कस्टम मिल्ड चावल का नियमित निरीक्षण/पर्यवेक्षण का दायित्व सम्बन्धित क्रय संस्था के क्रय केन्द्र प्रभारी का होगा। सम्बन्धित क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिन चावल मिलों को संस्थाओं द्वारा धान कुटाई हेतु दिया गया है वह चोरी अथवा खुर्द–बुर्द न होने पावे। इसका पूर्ण उत्तर–दायित्व सम्बन्धित क्रय ऐजेन्सी का होगा।

19– <u>क्रय संस्थाओं द्वारा क्रय धान की कुटाई (कस्टम हलिंग)</u> :–

क्रय संस्थाओं द्वारा मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत विभिन्न क्रय केन्द्रों पर क्रय धान की कुटाई क्रय केन्द्र के निकटतम 02 टन क्षमता या इससे अधिक क्षमता वाली ऐसी चावल मिलों से जिसे मण्डी समिति द्वारा लाईसेंस निर्गत किया गया हो, वाणिज्य कर विभाग तथा सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक कार्यालय में पजीकृत होगीं, से करायी जायेगी ।

19(1)– क्रय संस्थाओं द्वारा क्रय धान की कुटाई कराने हेतु सम्भाग स्तर पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक सहकारिता विभाग एवं अन्य नामित क्रय संस्थाओं के क्रय केन्द्रों पर क्रय धान को अपने कार्यालय में पंजीकृत चावल मिलों से उनकी कुटाई क्षमता एवं साख के आधार पर कुटाई हेतु चयन करेंगे। इस हेतु सम्बन्धित जनपद के सम्भागीय खाद्य नियंत्रक/उप सम्भागीय विपणन अधिकारी एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें। क्रय संस्थाऐं अपने–अपने क्रय केन्द्रो पर क्रीत धान की स्थिति से नियमित रूप से सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय को सूचित करेंगे ताकि पंजीकृत चावल मिलों को धान कुटाई हेतु आवंटन करने में सुगमता रहे।

19(2)– धान की कुटाई के लिए संबधित सम्भागीय खाद्य नियंत्रक/सहकारिता विभाग द्वारा धान क्रय–केन्द्रो को चावल मिलों से इस प्रकार सम्बद्व किया जायेगा कि परिवहन मद में कम से कम व्यय वहन करना पडे।

19(3)– धान की कुटाई का कार्य चयनित चावल मिल की कुटाई क्षमता एवं साख के आधार पर कराया जायेगा। जिस चयनित चावल मिलों से राजकीय धान की कुटाई कराई जायेगी, उस चावल मिल द्वारा राजकीय धान प्राप्ति के अधिकतम् 15 दिन के भीतर उस धान से निर्मित कस्टम मिल्ड चावल राज्य सरकार को सम्भागीय खाद्य नियन्त्रकों द्वारा निर्दिष्ट स्टेटपूल/भारतीय खाद्य निगम डिपो पर सम्प्रदान किया जायेगा।

जिन क्रय केन्द्रों पर धान का क्रय उस केन्द्र हेतु निर्धारित लक्ष्य से अधिक हो जाता है तों ऐसी स्थिति में लक्ष्य से अधिक क्रय किये धान को सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक द्वारा उस केन्द्र से निकटतम केन्द्र पर स्थापित चावल मिलों को कुटाई हेतु दूरी के आधार पर आवटिंत किया जा सकेगा।

19(4)– ब्लैकलिस्टेड, 02 मी0टन से कम क्षमता वाली, बकाया कस्टम मिल्ड चावल वाली तथा शासन को क्षति पहुंचाने वाली चावल मिलों को कस्टम मिलिंग हेतु धान का आवंटन नहीं किया जायेगा। जनपद की शेष समस्त कार्यशील व पंजीकृत चावल मिलों से अनिवार्य रूप से कस्टम मिलिंग का कार्य कराया जायेगा जिस क्षेत्र में खरीदे गये धान की कुटाई हेतु समुचित कुटाई क्षमता की चावल मिलें कार्यरत नहीं हैं ऐसे क्षेत्र की मिलों की क्षमता से अतिरिक्त धान की कुटाई उन क्षेत्र की मिलों से करायी जायेगी जहां कुटाई हेतु पर्याप्त मिलिंग क्षमता उपलब्ध हो।

19(5)– सम्बद्धीकरण में ऐसी मिलों को वरीयता दी जायेगी जिन्होंने मिल का आधुनिकीकरण करा लिया है और सार्टेक्स लगा लिया है।

19(6)– उप सम्भागीय विपणन अधिकारियों के प्रस्ताव पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा चावल मिलों के सम्बद्धीकरण की कार्यवाही की जायेगी। सम्बद्धीकरण के समय चावल मिल के स्वामी/भागीदार की चल व अचल सम्पत्तियों/हैसियत का विवरण लिया जायेगा व सक्षम स्तर से निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जायेगा। वरिष्ठ विपणन अधिकारी/क्रय संस्थाऐ, मिलों की साख एवं पूर्व कार्यवृत्त व सत्यापन के उपरान्त धान कुटाई हेतु मिलों के सम्बद्धीकरण का प्रस्ताव उप सम्भागीय विपणन अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। उप सम्भागीय विपणन अधिकारी की संस्तुति पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों द्वारा उपरोक्तानुसार सम्बद्धीकरण की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। जनपद में पर्याप्त हलिंग क्षमता उपलब्ध न होने पर उप सम्भागीय विपणन अधिकारी के अनुरोध पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा सम्भाग की अन्य मिलों का भी सम्बद्धीकरण किया जा सकेगा। सम्बद्धीकरण में यह प्रयास अवश्य किया जायेगा कि सामान्यतः एक चावल मिल को एक से अधिक सोसाइटीज द्वारा क्रय धान हलिंग हेतु न दिया जाये। क्रय सत्र में कस्टम मिल्ड चावल हेतु सम्बद्ध मिल के विरूद्ध क्रय संस्था की किसी भी देयता के लिये खाद्य विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

19(7)– प्रत्येक चावल मिल, जिसकी क्षमता 02 मी0टन से अधिक है और मण्डी समिति से लाईसेंस प्राप्त है तथा वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत है, उसे सी0एम0आर0 का कार्य कराया जायेगा। यदि किसी मिल द्वारा कुटाई हेतु धान लेने से मना किया जाता है, तो उसके विरूद्ध मण्डी समिति के लाईसेंस निरस्तीकरण एवं जीएसटी पंजीयन को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

19(8)– सम्बन्धित क्रय संस्थाओं द्वारा क्रय धान की कुटाई हेतु चयनित चावल मिलर्स से निर्धारित प्रारूप पर एक अनुबन्ध सम्पादित किया जायेगा। जिस चावल मिलर को धान कुटाई हेतु उपलब्ध कराया जायेगा, वह सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय में पंजीकरण के समय सम्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध के साथ एक सप्ताह के अन्दर चावल मिल की कुटाई क्षमता के आधार पर प्रति टन 4.00 लाख रूपये तथा पट्टे/किराये पर संचालित की जा रही चावल मिलों से उनकी कुटाई क्षमता प्रति टन 5.00 लाख रूपये अथवा अधिकतम 25.00 लाख रूपये की एफ0डी0आर0 प्रतिभूति (जो कि खरीफ खरीद सत्र 2019–20 की समाप्ति तक वैद्य होगी) के रूप में जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत की गयी हो तथा सम्भागीय खाद्य नियंत्रक के नामे बंधक हो, उपलब्ध करायी जानी अनिवार्य होगी। जमा की गयी एफ0डी0आर0 के समतुल्य ही धान हलिंग हेतु चावल मिलर्स को दिया जायेगा एवं सामान्य परिस्थिति में इस प्रकार दिये गये धान के सापेक्ष देय समस्त कस्टम मिल्ड चावल स्टेटपूल/केन्द्रीय पूल में प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही चावल मिलर्स को अग्रेत्तर धान क्रय केन्द्र से हलिंग हेतु दिया जायेगा। एफ0डी0आर0 की धनराशि से अधिक क्रय धान की मात्रा हलिंग हेतु देने की स्थिति यदि बनती है, तो चावल मिलर से क्षतिपूर्ति बॉन्ड (Indemnity Bond) प्राप्त कर इसके सापेक्ष धान हलिंग हेतु दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा। चावल मिलर्स से अनुबन्ध सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा सम्पादित किया जायेगा। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक नियमानुसार एफ0डी0आर0/क्षतिपूर्ति बॉन्ड (Indemnity Bond) आदि के जब्तीकरण की कार्यवाही आवश्यकता पड़ने पर कर सकेंगे। चावल मिल स्वामी, भागीदार की चल–अचल सम्पत्ति का विवरण, हैसियत प्रमाण पत्र, क्षतिपूर्ति बॉन्ड (Indemnity Bond), अनुबन्ध–पत्र, बैंक गारंटी आदि की मूल प्राप्तियां सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय में संरक्षित रखी जायेंगी तथा छायाप्रतियां केन्द्र व उप सम्भागीय विपणन अधिकारी कार्यालय में रखी जायेंगी। केन्द्र/जनपदीय/सम्भागीय कार्यालय में एक पंजीका बनाकर उक्त का लेखा–जोखा भी रखा जायेगा। मिलर्स की देयता समाप्त होने पर ही नियमानुसार सम्बन्धित वरिष्ठ विपणन अधिकारी की संस्तुति उपरान्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा प्रतिभूति वापस की जायेगी।

19(9)– खरीफ–खरीद सत्र 2019–20 हेतु जारी धान खरीद नीति के प्रस्तरों में जो परिवर्तन इस क्रय नीति में किये जा रहे हैं, उक्त परिवर्तन यथोचित स्थान पर आवश्यकनुसार अनुबन्ध में भी रखे जायेंगे।

19(10)– क्रय केन्द्र पर खरीदे गये धान के सुरक्षित भण्डारण की व्यवस्था न होने पर सम्बद्ध चावल मिल के गोदामों को अस्थायी भण्डारण गोदाम के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा और क्रय केन्द्र का धान चावल मिलर्स एवं केन्द्र प्रभारी की "लॉक एण्ड की" में संयुक्त अभिरक्षा में रखा जायेगा और इसके लिये अभिरक्षा प्रमाण पत्र पर सम्बन्धित मिलर व क्रय केन्द्र प्रभारी के संयुक्त हस्ताक्षर होंगे। इससे पूर्व सम्भागीय खाद्य नियंत्रक की अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक सम्बन्धित मिल की प्रतिभूति व प्रतिभूति बॉन्ड के आधार पर निर्णय लेंगे।

19(11)– खाद्य विभाग व अन्य क्रय संस्थाओं द्वारा अपने तहसील, जनपद एवं सम्भागीय स्तर के अधिकारियों द्वारा मिल में संस्था के कुटाई हेतु अवशेष धान स्टेटपूल/केन्द्रीयपूल भारतीय खाद्य निगम को सम्प्रदान हेतु अवशेष सी0एम0आर0 के स्टॉक का पाक्षिक एवं मासिक भौतिक सत्यापन कराया जायेगा एवं इसका लेखा–जोखा रखा जायेगा।

सत्यापन में अनियमितता की स्थिति में यथा नियमानुसार दोषी के विरूद्ध कार्यवाही भी की जायेगी।

19(12)– राजकीय धान की कुटाई के लिए चयनित चावल मिल द्वारा राज्य सरकार के धान की कुटाई तथा अपने मिल एकाउन्ट के धान की कुटाई से सबंधित अभिलेख अलग–अलग रखे जायेंगे, ताकि निरीक्षण के समय स्टाक सत्यापित किये जाने पर किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसी प्रकार क्रय–केन्द्रो पर खरीदे गये धान और उससे बनाये गये चावल से संबंधित अभिलेख भी अलग–अलग रखे जायेंगे ।

19(13)– क्रय ऐजेन्सियों द्वारा दैनिक धान खरीद/कस्टम मिल्ड चावल उद्ग्रहण के ऑकडों का प्रेषण करने हेतु अनिवार्य रूप से एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जायेगा। नोडल अधिकारी द्वारा नियमित रूप से OPMS (Online Procurement Monitoring System) के अर्न्तगत क्रय संस्थाओं द्वारा केन्द्रवार/ जनपदवार दैनिक धान खरीद के ऑकडे मण्डी आवक सहित संकलित कर खाद्य नियन्त्रण कक्ष, खाद्य आयुक्त कार्यालय एवम् भारतीय खाद्य निगम को OPMS में प्रविष्टि हेतु नियमित दैनिक रूप से उपलब्ध कराये जायेगें ।

इसके अतिरिक्त क्रय धान की कुटाई से सबंधित सूचना भी निर्धारित प्रपत्र पर प्रतिदिन ई–मेल के माध्यम से खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के खाद्य नियंत्रण कक्ष को प्रेषित की जायेगी। सहकारिता विभाग एवं अन्य क्रय संस्थाओं द्वारा भी प्रतिदिन दोनों सम्भागों की जनपदवार धान क्रय की सूचना खाद्य नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध करायी जायेगी।

19(14)– यदि किसी केन्द्र पर क्रय संस्थाओं द्वारा मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत कृषकों से क्रय किये गये धान को गुणवत्ता के अनुरूप न पाये जाने पर अथवा अन्य कारणो से चयनित चावल मिलर द्वारा कुटाई हेतु अस्वीकार किया जाता है तो क्रय केन्द्र प्रभारी की रिपोर्ट पर सम्बन्धित जनपद के उप सम्भागीय विपणन अधिकारी/सहायक निबन्धक, सहकारिता द्वारा मौके पर जाकर क्रय धान की गुणवत्ता का विश्लेषण किया जायेगा। यदि संयुक्त विश्लेषण उपरान्त क्रय धान/बोरों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पायी जाती है तो प्रस्तर–17 के अनुसार क्रय धान के निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी और दोषी कार्मिकों के विरूद्ध भी अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, किन्तु संयुक्त विश्लेषण में यदि क्रय धान/बोरों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप पायी जाती है तो सम्बन्धित मिलर क्रय धान की कुटाई करने हेतु बाध्य होगा अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित मिलर के विरूद्व नियमसंगत कार्यवाही की जायेगी ।

19(15)– भारत सरकार के आदेशानुसार चावल मिलर्स द्वारा कस्टम मिल्ड चावल के प्रत्येक बोरे के मुँह पर बाहर की ओर मशीन से सिलाई द्वारा 15x10 सेमी0 आकार की रैक्सीन/कैनवास की स्लिप, जिसमें चावल मिल का नाम, फसलवर्ष, कोड नम्बर, लाट संख्या, चावल की किस्म एवं चावल मिलर का मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूप से लगाया जायेगा।

20– <u>धान की कुटाई (कस्टम हलिंग) से निर्मित कस्टम मिल्ड चावल का भण्डारण</u> :–

20(1)– विकेन्द्रीकृत योजना के अर्न्तगत स्टेटपूल में कस्टम मिल्ड चावल चावल की मात्रा खाद्य विभाग के विभागीय गोदामों तथा राज्य भण्डारण निगम एवम् केन्द्रीय भण्डारण निगम से किराये पर लिये गये गोदामों में संग्रहित की जायेगी। राज्य भण्डारण निगम

एवम् केन्द्रीय भण्डारण निगम गोदामों में प्राप्त कस्टम मिल्ड चावल का संग्रहण करने से पूर्व इसका संयुक्त विश्लेषण सम्बन्धित भण्डारण ऐजेन्सी व वरिष्ठ विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक द्वारा किया जायेगा। राज्य भण्डारण निगम एवम् केन्द्रीय भण्डारण निगम गोदामों में कस्टम मिल्ड चावल संग्रहित होने उपरान्त इसकी गुणवत्ता एवं संग्रहित स्टॉक की सुरक्षा का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित संग्रह ऐजेन्सियों के प्रभारियों का होगा। इसी प्रकार विभागीय स्टेटपूल गोदामों में संग्रहित किये गये कस्टम मिल्ड चावल की प्राप्ति/संग्रहण उपरान्त गुणवत्ता एवं सुरक्षा का उत्तरदायित्व सम्बन्धित वरिष्ठ विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक का होगा। संग्रहण ऐजेन्सियों द्वारा कस्टम मिल्ड चावल कॉमन एवं ग्रेड–ए का लेखा–जोखा पृथक–पृथक रखा जायेगा।

20(2)– क्रय संस्थाओं द्वारा क्रय धान से निर्मित कस्टम मिल्ड चावल का सम्प्रदान स्टेटपूल/केन्द्रीय पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम के डिपो पर डिलीवरी का दायित्व सम्बन्धित चावल मिलर का होगा।

20(3)– मिलर द्वारा अरवा चावल 67 प्रतिशत रिकवरी तथा सेला चावल 68 प्रतिशत रिकवरी के आधार पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप चावल की डिलीवरी की जायगी।

20(4)– मिलर को धान के स्टॉक की आपूर्ति के विलम्बतम 15 दिनों के भीतर निर्दिष्ट डिपो में चावल का सम्प्रदान करना अनिवार्य होगा। यदि मिलर निर्दिष्ट समय में चावल सम्प्रदान करने में विफल होता है तो इस विलम्ब हेतु रूपये 1.00 प्रति कुन्तल प्रति दिन की दर से होल्डिंग प्रभार देय होगा। होल्डिंग प्रभार की गणना विलम्बतम 31 जूलाई, 2020 अथवा चावल सम्प्रदान हेतु अनुमन्य अन्तिम तिथि तक की जायेगी। स्टेटपूल/भारतीय खाद्य निगम में डिलीवरी एवं भण्डारण की समस्या के कारण कस्टम मिल्ड चावल का सम्प्रदान सुनिश्चित नहीं हो पाता है तो होल्डिंग चार्जेज देने हेतु मिलर उत्तरदायी नहीं होगा। सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों को गुण–अवगुण के आधार पर होल्डिंग चार्जेज को कम करने के बारे में सभी क्रय संस्थाओं के प्रकरणों में क्रय संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों का गुण–अवगुण के आधार पर परीक्षण कर कारण अंकित करते हुए निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

20(5)– धान खरीद की अवधि समाप्त होने के अधिकतम एक माह के अन्दर चावल मिलों पर सम्पूर्ण कस्टम मिल्ड राईस (सी0एम0आर0) की प्राप्ति सम्बन्धित क्रय केन्द्र प्रभारी तथा धान कुटाई हेतु सम्बद्ध चावल मिल के अधिकारिता क्षेत्र के कर्मचारी के अतिरिक्त खाद्य विभाग के सन्दर्भ में सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, उप सम्भागीय विपणन अधिकारी व वरिष्ठ विपणन अधिकारी तथा क्रय संस्थाओं के सन्दर्भ में सम्बन्धित क्रय संस्थाओं के जनपदीय अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। अन्य क्रय संस्थाओं के कस्टम मिल्ड राईस को सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, उप सम्भागीय विपणन अधिकारी, वरिष्ठ विपणन अधिकारी, क्रय संस्था चावल मिलर से समन्वय स्थापित कर समय से निर्दिष्ट अवधि में स्टेटपूल/केन्द्रीय पूल में कस्टम मिल्ड चावल का सम्प्रदान करायेंगे।

20(6)– क्रय संस्थाओं द्वारा कस्टम मिल्ड राईस की डिलीवरी स्टेटपूल/भारतीय खाद्य निगम के डिपो में सम्भागीय खाद्य नियंत्रक/क्षेत्र प्रबन्धक द्वारा जारी संचरण कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित डिपो पर की जायेगी। भारतीय खाद्य निगम का यह दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें, कि धान खरीद के सापेक्ष कस्टम मिल्ड चावल भण्डारण हेतु उसके पास पर्याप्त भण्डारण क्षमता उपलब्ध हो, भण्डारण स्थान की कमी की

स्थिति में, भारतीय खाद्य निमम द्वारा समय से उपयुक्त गोदाम किराये पर लेने/खाद्यान्न का आउटवर्ड संचरण कराने की कार्यवाही वरीयता के आधार पर की जायेगी। जनपद में धान क्रय के सापेक्ष केन्द्रीय पूल में चावल का उतार तीव्रता से हो, इस हेतु प्रतिदिन उतार क्षमता की सूचना भारतीय खाद्य निगम द्वारा सम्बन्धित वरिष्ठ विपणन अधिकारी/उप सम्भागीय विपणन अधिकारी को दी जायेगी। उप सम्भागीय विपणन अधिकारी उसी क्षमता के अनुरूप ट्रकों के संचरण कराने का प्रयास करेंगे, ताकि अनावश्यक जाम डिपो व रोड पर न लगे। उक्तवत क्षेत्र प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम द्वारा जनपदवार व भण्डारण डिपोवार चावल के ट्रकों का दैनिक संचरण प्रोग्राम एवं सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा जनपदवार व डिपोवार चावल के ट्रकों का दैनिक संचरण प्रोग्राम समय से निर्गत किया जायेगा।

20(7)– यदि कस्टम मिल्ड चावल (सी0एम0आर0) अधोमानक होने के कारण स्टेटपूल/भारतीय खाद्य निगम द्वारा अस्वीकार किया जाता है तो उसके बदले चावल की दूसरी लाट मानक के अनुरूप तैयार कर राईस मिलर द्वारा तत्काल डिलीवरी करानी होगी।

20(8)– चावल मिल से भण्डारण डिपो तक परिवहन व्यय का भुगतान तथा मिलिंग चार्जेज का भुगतान भारत सरकार द्वारा जारी कास्टशीट में प्राविधानित अनुसार किया जायेगा।

21– <u>कस्टम मिल्ड चावल का परिवहन</u> :–

21(1)– धान क्रय केन्द्रों से चावल मिल परिसर तक संस्थाओं द्वारा क्रय धान के परिवहन तथा उद्ग्रहण उपरान्त चावल मिलों से स्टेटपूल/भारतीय खाद्य निगम डिपो तक कस्टम मिल्ड चावल का सम्प्रदान सम्बन्धित चावल मिलर द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा। इस हेतु चावल मिलर को भारत सरकार द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2019–20 हेतु जारी कॉस्टशीट में दी गयी व्यवस्थानुसार कुटाई/परिवहन दरें अनुमन्य की जायेंगी। (जिलाधिकारी द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2019–20 हेतु निर्धारित परिवहन दरें अथवा भारतीय खाद्य निगम की दरें,जो भी कम हों, अनुमन्य होंगी।)

चावल मिल से स्टेट पूल/भारतीय खाद्य निगम डिपो तक कस्टम मिल्ड चावल का परिवहन सम्बन्धित चावल मिलर द्वारा सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा निर्गत मूवमेन्ट प्रोग्राम के आधार पर सुनिश्चित कराया जायेगा। परिवहन व्यय के आकलन हेतु सम्बन्धित चावल मिल से स्टेटपूल डिपो/भारतीय खाद्य निगम डिपो तक उप सम्भागीय विपणन अधिकारी द्वारा सत्यापित की गयी दूरी अनुमन्य होगी। क्रय धान से निर्मित कस्टम मिल्ड चावल के सम्प्रदान हेतु सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा डिपोवार मूवमेन्ट प्लान जारी किया जायेगा।

22– <u>हैण्डलिंग ठेकेदारों की नियुक्ति एवम् उनके पारिश्रमिक का भुगतान</u> :–

धान क्रय हेतु क्रय केन्द्रों पर क्रय संस्थाओं द्वारा हैण्डलिंग ठेकेदारों की नियुक्ति ई–निविदा के माध्यम से सुनिश्चित की जायेगी तथा हैण्डलिंग ठेकेदारों को हैण्डलिंग कार्यों हेतु भारत सरकार द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2019–20 हेतु जारी कॉस्टशीट के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा। इस निमित्त भारत सरकार की कॉस्टशीट की दरें अधिकतम होंगी। हैण्डलिंग विपत्रों के साथ अनुबन्ध, स्वीकृति आदेश, श्रमिकों को किये गये भुगतान सम्बन्धी साक्ष्य व अभिलेख प्रस्तुत करने पर ही हैण्डलिंग ठेकेदार के पारिश्रमिक विपत्रों का भुगतान किया जायेगा।

23— <u>धान के संचरण हेतु परिवहन व्यवस्था</u> :—

खरीफ—खरीद सत्र 2019—20 में धान क्रय—केन्द्र से चयनित चावल मिल तक धान का परिवहन सम्बन्धित क्रय ऐजेन्सियों द्वारा तथा धान की कुटाई उपरान्त निर्मित कस्टम मिल्ड चावल को स्टेट पूल/भारतीय खाद्य निगम डिपो तक परिवहन कराने हेतु जिस चावल मिल को धान कुटाई हेतु दिया जायेगा उसी मिल द्वारा ही कस्टम मिल्ड चावल का संचरण भी सुनिश्चित कराया जायेगा।

24— <u>क्रय केन्द्रो के संचालन एवं अनुश्रवण हेतु स्टेशनरी, पी0ओ0एल0 एवं अन्य मदों हेतु व्यवस्था</u> :—

24(1)— स्थापित क्रय केन्द्रों पर धान खरीद वर्ष 2019—20 में धान क्रय की व्यवस्था हेतु निम्नलिखित मदों पर व्यय अनुमन्य होगा :—

I. योजना का प्रचार—प्रसार।

II. क्रय कार्य के सम्मिलित कर्मियों का तकनीकी प्रशिक्षण।

III. टेलीफोन/मोबाइल/स्टेशनरी/कम्प्यूटर/लैपटॉप/आईपैड/इलेक्ट्रानिक—काँटा/नमी मापक यंत्र/विनोइंग फैन/पावर ड्रायर/नेट कनेक्टिविटी/बोरों की सिलाई हेतु इलेक्ट्रिक मशीन/सोल पैनल/खाद्यान्न के विश्लेषण हेतु विश्लेषण किट आदि पर व्यय।

IV. क्रय केन्द्रों के निरीक्षणार्य किराये पर वाहन लेने तथा पी0ओ0एल0 (Petroleum Oil & Lubricant) की व्यवस्था।

V. अस्थायी मानव संसाधन की व्यवस्था तथा ई—खरीद सॉफ्टवेयर हेतु एन0आई0सी0 को मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु।

VI. हैण्डलिंग/परिवहन व्ययों के भुगतान।

VII. बोरों का स्थानीय परिवहन/आपूर्ति, वर्षा आदि से खाद्यान्न के बचाव तथा रख—रखाव के लिये तात्कालिक आवश्यकता हेतु क्रेट्स, त्रिपाल, पालीथीन कवर तथ अन्य आवश्यक सामग्री क्रय किया जाना।

VIII. धान क्रय की समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतु कॉल सेन्टर खाद्यायुक्त कार्यालय/एन0आई0सी0 हेतु पी0एम0यू0 (Project Monitoring Unit) आदि मदों में व्यय।

IX. स्टॉफ की कमी, खाद्यान्न क्रय में कार्य की अधिकता अवकाश के दिनों में भी खरीद, कृषक पंजीकरण, ई—खरीद, को—ऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से खरीद के दृष्टिगत खाद्य विभाग में स्वीकृत रिक्त पदों के सापेक्ष तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कमी की स्थिति में सेवा प्रदाता के माध्यम से क्रमशः कम्प्यूटर ऑपरेटर व चतुर्थ श्रेणी कार्मिक की पूर्ति नियमानुसार सक्षम स्तर से की जा सकेगी।

X. खाद्यान्न (धान व गेहूँ) की मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत खरीद में ई—खरीद, कृषक पंजीकरण, मिलों का पंजीकरण का कार्य अब चूंकि वर्षपर्यन्त किया जाना है, इसके अतिरिक्त स्टेटपूल/केन्द्रीय पूल में खाद्यान्न का उठान व सम्प्रदान, उसके बिलिंग एवं भुगतान का कार्य पूरे वित्तीय वर्ष में होता रहेगा। अतएव उक्त मदों में व्यय पूरे वित्तीय वर्ष हेतु अनुमन्य होगा। धान के मूल्य का भुगतान करने के लिये अधिकारों का प्रतिनिधायन एवं अन्य जो भी व्यवस्था धान क्रय हित में आवश्यक होगी उस पर सचिव खाद्य/आयुक्त खाद्य विभाग एवं आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं

उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा कार्यवाही की जायेगी। इन प्रयोजनार्थ होने वाले व्यय का वहन लेखाशीर्षक–"4408–खाद्य भण्डारण तथा भण्डारागार पर पूंजीगत परिव्यय–01 खाद्य–101 अधिप्राप्ति तथा पूर्ति–03–अन्नपूर्ति योजना–43–सामग्री और सम्पूर्ति" से पूर्व की भांति किया जायेगा।

24(2)– को–ऑपरेटिव सोसाइटीज/एन0सी0सी0एफ0/नैफेड को भुगतान चावल के स्टेटपूल/ केन्द्रीय पूल में डिलीवरी हो जाने के पश्चात् एक्नालेजमेंट के आधार पर सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी/भारतीय खाद्य निगम में बिल प्रस्तुत कर लेने के उपरान्त तीन दिन के अन्दर सुनिश्चित किया जायेगा। राज्य सहकारी संघ को खाद्य विभाग द्वारा अग्रिम रूप से धनराशि आवंटित की जायेगी तथा इस धनराशि का समायोजन सहकारिता विभाग द्वारा क्रय किये गये धान के सापेक्ष भुगतान हेतु प्रेषित विपत्रों से किया जायेगा।

24(3)– धान खरीद सत्र 2019–20 की समाप्ति के उपरान्त प्रत्येक क्रय संस्था द्वारा अधिकतम 03 माह के अन्दर प्रत्येक धान क्रय केन्द्र का ऑडिट पूर्ण किया जायेगा तथा उसकी संकलित सूचना सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी कार्यालय में दी जायेगी।

25– **धान क्रय–केन्द्रो का निरीक्षण** :–

25(1)– खाद्य विभाग तथा क्रय संस्थाओं द्वारा जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रत्येक धान खरीद केन्द्रों का सप्ताह में कम से कम एक बार निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि क्रय केन्द्र समय से खुलते हैं एवं वहाँ अपेक्षित सुविधायें उपलब्ध है तथा किसानों का धान नियमानुसार खरीदा जा रहा है अथवा नहीं।

25(2)– सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक द्वारा भी 15 दिन में सभी केन्द्रों का निरीक्षण किया जायेगा। जिलाधिकारी तथा उप जिलाधिकारी अपने जनपदों/क्षेत्रो में क्रय केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण कर यह देखेंगे कि धान खरीद का कार्य समुचित ढंग से हो रहा है अथवा नहीं। खाद्यायुक्त स्तर पर एक सचल दस्ता गठित किया जायेगा जिसमें मुख्य विपणन अधिकारी, उप सम्भागीय विपणन अधिकारी, वरिष्ठ विपणन अधिकारी तथा विपणन निरीक्षक सम्मिलित होंगे। सचल दस्ता द्वारा धान क्रय केन्द्रों, चावल मिलों में संग्रहित धान, निर्मित कस्टम मिल्ड चावल तथा स्टेटपूल डिपो पर चावल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु आकस्मिक निरीक्षण किया जायेगा तथा उसकी सूचना खाद्यायुक्त को उपलब्ध करायी जायेगी।

26– **खाद्य नियंत्रण कक्ष एवं खरीद के आँकडों का प्रेषण** :–

26(1)– जिला स्तर पर जिला खरीद अधिकारी के पर्यवेक्षण में तथा सम्भाग स्तर पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रक के पर्यवेक्षण में एक खरीद प्रकोष्ठ की स्थापना की जायेगी, जिसमें धान क्रय कार्य की नियमित समीक्षा की जायेगी। साथ ही साथ धान क्रय के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों पर तत्परता पूर्वक कार्यवाही कर निस्तारण किया जायेगा।

26(2) राज्य स्तर पर धान खरीद की स्थिति के अनुश्रवण एवम् समीक्षार्थ खाद्य नियंत्रण कक्ष, आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, लाडपुर, देहरादून उत्तराखण्ड के कार्यालय में खोला जायेगा, जो दिनाँक 01 अक्टूबर, 2019 से कार्यशील होगा। नियमित धान खरीद से संबधित एजेन्सीवार एवं जनपदवार सूचना संबधित जनपद के जिला खरीद अधिकारी/उप सम्भागीय विपणन

अधिकारी/सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा प्रतिदिन ई–मेल–foodcommfcs@gmail.com पर नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी ।

27– उपरोक्तानुसार जारी की गयी क्रय नीति में यदि किसी प्रस्तर से उत्पन्न व्यवहारिक कठिनाई के दृष्टिगत नीति में किसी प्रकार का संशोधन कियाजाना अपेक्षित हो तो क्रय संस्थाओं/सम्भागीय खाद्य नियंत्रक/जिलाधिकारी की संस्तुति एवं ऑचित्यपूर्ण प्रस्तावों पर आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग उत्तराखण्ड निर्णय लेने हेतु अधिकृत होंगे।

28 – क्रय एजेंसियाँ धान खरीद हेतु जारी समय सारणी के अनुसार धान क्रय–केन्द्रों की स्थापना, कार्मिकों की तैनाती, बोरों की व्यवस्था, धन की व्यवस्था एवं अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करेंगी ताकि धान का क्रय सुचारू रूप से आरम्भ हो जाये।

29– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 141(1)मतदेय/XXVII(5)19-20 दिनांक 20.09.2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(सुशील कुमार),
सचिव

संख्या 753(i)/19–XIX-2/21 खाद्य/2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2– प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
3– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
5– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय भवन, माजरा, देहरादून।
6– मण्डलायुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी/कुमाँयू मण्डल, नैनीताल ।
7– सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी, गढवाल सम्भाग/कुमाँयू सम्भाग ।
8– वित्त नियन्त्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग,, उत्तराखण्ड ।
9– क्षेत्रीय प्रबन्धक, राज्य/केन्द्रीय भण्डारण निगम, उत्तराखण्ड द्वारा खाद्यायुक्त।
10– निजी सचिव, मा0 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री जी उत्तराखण्ड के संज्ञान में लाने हेतु प्रेषित।
11– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
12– नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उत्तराखण्ड ।
13– उपसम्भागीय विपणन अधिकारी, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, कुमायूँ सम्भाग/गढवाल सम्भाग, हल्द्वानी/देहरादून।
14– अध्यक्ष, राईस मिलर्स एसो0, ऊधमसिंहनगर।
15– महाप्रबन्धक, नैफेड, देहरादून।
16– प्रबन्धक, एनसीसीएफ, देहरादून।
17– एनआईसी/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार),
सचिव।